UPLK010054962020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 651/2020

सरकार **बनाम** चन्द्र प्रकाश लोधी आदि

अ0सं0 05/2019
धारा–384,504,506 भा0द0सं0
थाना–मड़ियांव, लखनऊ।

27–10–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण जग्गी उर्फ कन्हैया लाल रावत व देवसिंह रावत मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 384, 504, 506 भा0द0सं0 के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 29.11.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010054962020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 651/2020

सरकार **बनाम** चन्द्र प्रकाश लोधी आदि

अ0सं0 05/2019

धारा–384,504,506 भा0द0सं0

थाना–मड़ियांव, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण जग्गी उर्फ कन्हैया लाल रावत व देवसिंह रावत को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 21.12.2018 व समय अदम तहरीर थाना मड़ियांव जिला लखनऊ स्थान ग्राम कोडारी में आप अभियुक्तगण जग्गी उर्फ कन्हैया लाल रावत व देवसिंह रावत द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा दिनेश कुमार को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण जग्गी उर्फ कन्हैया लाल रावत व देवसिंह रावत द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा दिनेश कुमार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण जग्गी उर्फ कन्हैया लाल रावत व देवसिंह रावत द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा दिनेश कुमार को जान से मारने की धमकी एवं भद्दी–भद्दी गालियां देकर मानसिक क्षति पहुंचाई गयी, जो उद्दापन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

दिनांकः 27–10–2025

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

दिनांकः 27–10–2025